डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 161] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2001 है. **नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा 4 का विलोपन किया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाय : **धारा 4 का प्रतिस्थापन.**

(4) (1) मुख्य मंत्री को छः सौ पचास रुपये प्रतिदिन, मंत्री को छः सौ रुपये प्रतिदिन, राज्य मंत्री को पांच सौ पचास रुपये प्रतिदिन, उप-मंत्री को पांच सौ रुपये प्रतिदिन तथा संसदीय सचिव को चार सौ पचास रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनकी पदावधि के दौरान दैनिक भत्ता दिया जायेगा.

(4) (2) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री और संसदीय सचिव को तीन हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ शासन ने यह विनिश्चय किया है कि मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री एवं संसदीय सचिव को प्राप्त होने वाले सत्कार भत्ता के स्थान पर उनकी पदावधि के दौरान उनके लिए दैनिक भत्ता उपबंधित किया जाए. इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 27-जुलाई 2001

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल के द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्रमांक 3 एवं 4 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये 29,97,075/- (रुपये उन्तीस लाख, सन्तान्बे हजार, पच्चहत्तर) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

कृष्ण कुमार गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972, धारा 4 (1), 4 (2) एवं 4 (3) के सुसंगत उद्धरण

4 (1) मुख्य मंत्री को पांच हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक मंत्री को दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता, प्रत्येक राज्य मंत्री को एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता और प्रत्येक उप-मंत्री तथा संसदीय सचिव को पांच सौ रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

4 (2) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री और संसदीय सचिव को तीन हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

4 (3) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप-मंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.